| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 25/2/2014 | **सारण समाहरणालय, छपरा।**<br><br>**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।**<br>**जिला विधि प्रशाखा**<br>**आपूर्त्ति अपील संख्या 15/2012**<br>**अवधेश कुमार पांडेय बनाम राज्य एवं अन्य**<br>**आदेश**<br><br>संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 17330/2013 अवधेश पांडेय बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 18.11.2013 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 61/आपूर्त्ति दिनांक 17.1.2012 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई।<br><br>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि मो0 राशिद आलम, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 19.10.2011 को अवधेश पाण्डेय, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्रा0पं0रा0–बारवें, प्रखंड–दरियापुर की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में दूकान बंद पायी गयी, मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन तालिका प्रदर्शित नहीं पाया गया, दूकान के व्यापार स्थल पर लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं पायी गयी, खाद्यान्न का संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं था, उपभोक्ताओं को कैशमेमो नहीं दिया जाता था।<br><br>उक्त अनियमितताओं के अतिरिक्त, जांच प्रतवेदन में कुछ उपभोक्ताओं के पास सभी कूपन मौजूद पाये गये, कुछ के द्वारा उनका कूपन विक्रेता के द्वारा रख लेने एवं अनाज नहीं देने की शिकायत की गई थी। कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा एक बार अनाज देने, दो बार किरासन तेल देने एवं राशन/किरासन की आपूर्ति कम मात्रा में करके अधिक मूल्य लेने तथा कुछ के द्वारा मुख्यमंत्री चावल महोत्सव के अंतर्गत बहुत से बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को 20 किलों चावल नहीं देने का आरोप लगाया गया था। | |

उक्त अनियमितताओं के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर ने विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी। विक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर का मंतव्य प्राप्त कर विक्रेता के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी का प्रासंगिक आदेश (61/आपूर्ति दिनांक 17.01.2012) यद्यपि प्रथम दृश्टतया Speaking order प्रतीत होता है, तथापि इसमें कई गंभीर त्रूटियाँ मौजूद है। सर्वप्रथम, इसमें निरीक्षण का समय अंकित नहीं है। निरीक्षण तिथि को संबंधित विक्रेता के द्वारा निर्धारित कार्य अवधि में दूकान खोलकर कार्य किया गया, लेकिन जांच पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि के बाद आकर अपने जांच प्रतिवेदन में अंकित कर दिया गया कि दूकान बंद पायी गयी। अपीलार्थी को जांच पदाधिकारी के द्वारा कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गयी थी, जिससे उनके द्वारा निर्धारित कार्य अवधि के बाद भी दूकान जांचार्थ खोलकर रखा जाता। यह भी बतलाया कि जहां तक कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा अलग–अलग प्रकार की शिकायत करने का प्रश्न है, उस बिन्दू पर कहना है कि श्री विजय राय, पिता– श्री चन्द्रिका राय, श्री शिव मंगल राय, पिता– श्री मोसाफिर राय के पुत्र अभिमन्यु राय एवं कपिन्द्र राय का नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है, ऐसी स्थिति में उनका कूपन रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। श्री कुंदन राय, पिता– स्व0 हरि राय को प्रतिमाह कूपन पर अनाज दिया जाता है, इस आशय का शपथ पत्र उनके द्वारा दिया गया है जो जवाब के साथ संलग्न है। इसी प्रकार, कृष्णा सिंह तथा श्रीमति शांति कुंवर, पति– श्री गिरिजा राय का नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज नहीं है, तथा श्री शंकर शर्मा, पिता– श्री राम नगीना शर्मा के पुत्र राजकुमार शर्मा एवं मनोज शर्मा वगैरह के द्वारा शपथ पत्र देकर कहा गया है कि उन्हें प्रतिमाह उक्त विक्रेता के द्वारा सभी सामान समय से दिया जाता है एवं उन्हें इनसे कोई शिकायत नहीं है। यह भी बतलाया कि श्री वकील राय, पिता– श्री मसदी राय, श्री ललन राय, पिता– श्री रामपुकार राय, श्री लालबाबू राय, पिता– श्री दरोगा राय के पुत्र श्री सोनीला राय अपीलार्थी के दुकान से संबद्ध उपभोक्ता नहीं है। श्री चन्द्रिका राय, पिता– श्री नन्दलाल राय के द्वारा भी शपथ पत्र देकर अपीलार्थी के विरूद्ध की गई शिकायतों के गलत होने का बयान दिया गया है। इसी प्रकार श्री दुर्गा राय, पिता– स्व0 रामवृक्ष राय, श्री केदार राय, पिता– श्री सरीखन राय उक्त

अपीलार्थी के दूकान के सम्बद्वता सूची में नहीं है। अतः इनके द्वारा किसी प्रकार का आरोप लगाया जाना सर्वथा आधारहीन एवं गलत है। अपीलार्थी को केवल क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने यह भी बतलाया कि मुख्यमंत्री चावल महोत्सव के अंतर्गत संबंधित बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को बीस–बीस किलो चावल दिया गया, लेकिन वैसे उपभोक्ताओं के द्वारा जो इनसे संबद्ध ही नहीं है, उनके द्वारा इनके विरूद्ध आरोप लगाया गया है। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण समिति के सदस्यों की देख–रेख में राशन/किरासन का वितरण किया जाता है। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों तथा अनुज्ञप्ति शर्त्तों एवं प्रावधानों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के परिसीलन किया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि जॉच पदाधिकारी के द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षण का समय अंकित न होना अपने आप में एक बड़ी त्रुटि है। निर्धारित कार्य अवधि के बाद दूकान बंद रहना अनियमितता नहीं माना जा सकता और वह भी उस परिस्थति में जब विक्रेता को जॉच हेतु दूकान खुली रखने का पूर्व में निर्देश न दिया गया हो।

निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित विभिन्न शिकायतकर्त्ताओं ने अपीलार्थी के विरूद्व भी किसी प्रकार की शिकायत न होने का शपथ पत्र दिया गया है। यथा– कुन्दन राय, विजय राय,, शिव मंगल राय, कृष्णा सिंह, शंकर शर्मा, राज कुमार शर्मा, मनोज शर्मा, बच्चू राय, चन्द्रिका राय, वकील राय आदि उपभोक्ताओं के पास कूपन का होना, विक्रेता के द्वारा एक बार अनाज देने, दो बार राशन/किरासन की आपूर्त्ति करने, राशन/किरासन की आपूर्त्ति कम मात्रा में करके अधिक मूल्य लेने एवं मुख्यमंत्री चावल महोत्सव के अंतर्गत बहुत से बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को बीस–बीस किलो चावल नहीं देने की भी संपुष्टि नहीं हो पा रही है। जिन व्यक्तियों के द्वारा विक्रेता के विरूद्व आरोप लगाए गए हैं, उनमें से अधिकांश उपभोक्ता यथा– राज कुमार शर्मा, मनोज शर्मा, कुन्दन राय ने अपने शपथ पत्र में बयान दिया है कि किरासन तेल, गेहूँ, चावल, कूपन देकर उचित मूल एवं सही वजन के साथ प्रत्येक माह वितरित किया जाता था। उसी प्रकार उपभोक्ता नीला देवी, पति–टूनटून राय,

अजय राय, पिता–विनोद राय, केदार राय, पिता–सरीखन राय ने भी शपथ पत्र में बयान दिया है कि राजनीतिक दबाव में आकर झूठा शिकायत दर्ज कराया था। प्रत्येक माह किरासन तेल, गेहूँ, चावल उचित मूल्य व सही वजन के साथ दिया जाता है। चन्द्रिका राय, शिव प्रसाद राय, मुन्ना राय आदि ने भी शपथ पत्र में बयान दिया है कि दिनांक 18.10.2011 को जॉच के समय जॉच पदाधिकारी को कहा गया था कि विक्रेता द्वारा उचित मूल्य व सही वजन के साथ प्रत्येक माह किरासन तेल, गेहूँ, चावल कूपन से उठाया जाता है।

दरियापुर प्रखंड के बारवें पंचायत में गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष के द्वारा अपने पत्र (पत्रांक 44/9.1.2012) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त विक्रेता के द्वारा प्रत्येक माह कूपन प्राप्त कर नियमित रूप से राशन/किरासन का वितरण निगरानी समिति के समक्ष किया जाता था।

अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सोनपुर के मन्तव्य को आधार बनाकर अभिलेख में संधारित कागजातों के परिसीलन के बिना विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है।

अतः उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को निरस्त करता हूँ तथा अपील आवेदन स्वीकृत करता हूँ।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 621 /न्यायालय, दिनांक 03.05.2014

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर सह अनुज्ञापन पदाधिकारी को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।